

पत्र सं०-जी०एस०टी०/2019-20/ 1920081

833 /वाणिज्य कर
कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

(जी०एस०टी० अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक

10 जनवरी 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०),
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कार्पोरेट सर्किल/वि०अनु०शा०),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- इन्फार्मेशन टेक्नालाजी इनेबल्ड सर्विसेज(ITEs सेवाओं) की आपूर्ति से संबंधित परिपत्र संख्या 407 दिनांक 22-07-2019 को वापस लेने के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र सं० 107/26/2019-जी०एस०टी० दिनांक 18-07-2019 को वापस लेने के संबंध में परिपत्र संख्या 127/46/2019-जी०एस०टी० दिनांक 04-12-2019 जारी किया गया है। परिपत्र सं० 107/26/2019-जी०एस०टी० दिनांक 18-07-2019 के समानान्तर राज्य सरकार द्वारा परिपत्र सं० 407 दिनांक 22-07-2019 जारी किया गया था। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 107/26/2019-जी०एस०टी० दिनांक 18-07-2019 को वापस ले लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 407 दिनांक 22-07-2019 को भी वापस लिया जा रहा है।

अतः केन्द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र सं०-127/46/2019-जी०एस०टी०, दिनांक 04.12.2019 की प्रति इस परिपत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया तदनुरूप अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)
वाणिज्य कर, मुख्यालय।

F. No. CBEC – 20/06/03/2019 – GST
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
GST Policy Wing

New Delhi, the 4th December, 2019

To

The Pr. Chief Commissioners / Chief Commissioners / Principal Commissioners /
Commissioners of Central Tax (All)

The Principal Director Generals / Director Generals (All)

Madam / Sir,

Subject: Withdrawal of Circular No. 107/26/2019-GST dt. 18.07.2019 – reg.

Kind attention is invited to Circular No. 107/26/2019-GST dated 18.07.2019 wherein certain clarifications were given in relation to various doubts related to supply of Information Technology enabled Services (ITeS services) under GST.

2. Thereafter, numerous representations were received expressing apprehensions on the implications of the said Circular. In view of these apprehensions and to ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law across field formations, the Board, in exercise of its powers conferred by section 168(1) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, hereby withdraws, *ab-initio*, Circular No. 107/26/2019-GST dated 18.07.2019.

3. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this Circular. Hindi version will follow.

(Yogendra Garg)
Principal Commissioner (GST)
